संख्या-86/2022/4166/007-54-2002-002-3-2022

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ: दिनांक 21 दिसंबर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान", मानक मद-49 चिकित्सा व्यय" एवं मानक मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान" में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या सी-959/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय" में कुल प्रावधानित धनराशि रु0 15717.93 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-34/2022/789/001-2-3-2-17, दिनॉक 19.04.2022 द्वारा रु0 5165.50 लाख तथा शासनादेश संख्या-63/2022/2092/004-54-2002-002-3-2022, दिनॉक 23.08.2022 द्वारा रु0 10058.87 लाख अर्थात कुल रु0 15224.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अधीन आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु उल्लिखित योजनाओं में उपशीर्षकों के अन्तरर्गत दिये गये मानक-मदवार विवरण के अनुसार लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय" में कुल प्रावधानित धनराशि रु0 15717.93 लाख के सापेक्ष सम्भावित व्यय के दृष्टिगत धनराशि रु0 193.56 लाख (रुपया एक करोड़ तिरानवे लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तयरदायी होंगे ।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(8) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यो की गुणवत्ता- की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटनध्वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022, शासनादेश संख्या-24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08 नवम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020300 (बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
2	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
3	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	58 आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान	13,56,000 (रुपये तेरह लाख छप्पन हजार मात्र)
	कुल			**1,93,56,000 (रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख छप्पन हजार मात्र)**

महायोग	1,93,56,000 (रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख छप्पन हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -13 /2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-86/2022/ 4166(1)/007-54-2002-002-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त, (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
6. वित्त, संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।